रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/98

REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 78] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 11, 1999/माघ 22, 1920
No. 78] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 11, 1999/MAGHA 22, 1920

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 1999

सं. 19/99-सीमाशुल्क

सा. का. नि. 100(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I खण्ड 1, तारीख 19 मार्च, 1999 में प्रकाशित अपने निष्कर्षों के अनुसार पदाभिहित प्राधिकारी, कोरिया, थाइलैंड और इण्डोनेशिया में मूल रूप से उत्पादित या वहां से निर्यातित, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 29 के अन्तर्गत आने वाले परिशोधित थेरेप्थेलिक अम्ल के आयात के विषय में इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि—

(क) रिपब्लिक आफ कोरिया, थाईलैंड और इण्डोनेशिया में मूल रूप से उत्पादित या वहां से निर्यातित परिशोधित थेरेप्थेलिक अम्ल का साधारण मूल्य से कम मूल्य में भारत को निर्यात किया गया था ;

(ख) घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है ;

(ग) रिपब्लिक आफ कोरिया, थाईलैंड और इण्डोनेशिया से परिशोधित थेरेप्थेलिक अम्ल के निर्यात से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है ;

और केन्द्रीय सरकार ने पदाभिहित प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित अधिसूचना सं. 13/98-सीमा-शुल्क, तारीख 28 अप्रैल, 1998 [सा. का. नि. 223(अ)], तारीख 28 अप्रैल, 1998 द्वारा पाटनरोधी शुल्क (जिसे इसमें इसके पश्चात् अंतिम शुल्क कहा गया है) अधिरोपित किया गया है ;

और मै० सियाम मितसुई पी. टी. ए. कम्पनी लि. थाईलैंड और मै० पी. टी. एमोका मितसुई पी. टी. ए., इण्डोनेशिया ने उनके द्वारा किए गए निर्यातों की बाबत, सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर पाटनरोधीशुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 22 के अर्थान्तर्गत पुनर्विलोकन के लिए अनुरोध किया है और पदाभिहित प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खण्ड 1, तारीख 14 अक्तूबर, 1998 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 7/2/98/ए डी डी, तारीख 13 अक्तूबर, 1998 और भारत के राजपत्र, असाधारण भाग I, खण्ड 1 तारीख 13 नवम्बर, 1998 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 7/2/98/ए डी डी तारीख 12 नवम्बर, 1998 के अनुसार मै० सियाम मितसुई पी० टी० ए० कं० लि०, थाइलैंड और मै० पी. टी. एमोको मितसुई पी. टी. ए., इण्डोनेशिया द्वारा इसके द्वारा पुनर्विलोकन समाप्त होने तक 1939 रु. प्रति मीट्रिक टन की दर से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के पहली अनुसूची के अध्याय 29 के अन्तर्गत आने वाले परिशोधित थेरेप्थेलिक अम्ल के सभी निर्यात के अनंतिम निर्धारण की सिफारिश की है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, और उस पर पाटनरोधी शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 22 के उप नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पदाभिहित प्राधिकारी के उपरोक्त निष्कर्षों पर विचार

करने के पश्चात् यह निदेश देती है कि पदाभिहित प्राधिकारी द्वारा उक्त पुनर्विलोकन के परिणाम के लम्बित रहने तक, मै. सियाम मितसुई पी. टी. कं. लि., थाईलैंड और मै. पी टी एमोको मितसुई पी. टी. ए., इंडोनेशिया द्वारा विनिर्मित परिशोधित थेरेप्थेलिक अम्ल के निर्यात पर, जब उनका भारत में आयात किया जाता है, कोई पाटन रोधी शुल्क उद्ग्रहीत नहीं किया जाएगा ;

परन्तु यह कि मै. सियाम मितसुई पी. टी. ए. कं. लि., थाईलैंड और मै. पी. टी. एमोको मितसुई पी. टी. ए., इण्डोनेशिया द्वारा निर्यातित परिशोधित थेरप्थेलिक अम्ल, जब उसका भारत में आयात किया जाता है, अनंतिम निर्धारण के अधीन होगा और उस पर 1939 रु. प्रति मीट्रिक टन की दर से संगणित शुल्क की राशि के लिए प्रत्याभूति ली जाती है ।

2. पदाभिहित प्राधिकारी द्वारा उक्त पुनर्विलोकन समाप्त करने के पश्चात् पाटन रोधी शुल्क की सिफारिश की दशा में आयातकर्ता, मै. सियाम मितसुई पी टी ए कं. लि., थाईलैंड और मै. पी. टी एमोको मितसुई पी टी ए इण्डोनेशिया से, उक्त पुनर्विलोकन की शुरुआत की तारीख से परिशोधित थेरप्थेलिक अम्ल के भारत में सभी आयातों पर अधिरोपित शुल्क की राशि का संदाय करने का दायी होगा ।

[फा. सं. 341/78/97-टी. आर. यू.]

श्रीनिवास टाटा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th February, 1999

NO. 19/99-CUSTOMS

G.S.R. 100(E).— WHEREAS in the matter of import of Purified Terepthalic acid falling under Chapter 29 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in or exported from Korea, Thailand, and Indonesia , the Designated Authority vide its final findings, published in the Gazette of India Extraordinary, Part I, Section I, dated the 19th March, 1998 has come to the conclusion that -

(a) Purified Terepthalic Acid originating in, or exported from, Republic of Korea, Thailand, and Indonesia , had been exported to India below its normal value;

(b) the domestic industry has suffered material injury;

(c) the injury has been caused to the domestic industry by the exports of Purified Terepthalic Acid from Republic of Korea, Thailand, and Indonesia;

AND WHEREAS on the basis of the aforesaid findings of the Designated Authority, the Central Government has imposed anti-dumping duty (hereinafter referred to as the final duty) vide notification No. 13/98-Customs, dated the 28th April, 1998[G.S.R.223(E), dated 28th April, 1998], published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 28th April, 1998;

AND WHEREAS M/s Siam Mitsui PTA Co. Ltd, Thailand and M/s PT Amoco Mitsui PTA, Indonesia have requested for reviews in terms of rule 22 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 in respect of exports made by them and the Designated Authority vide notification No. 7/2/98/ADD, dated the 13th October, 1998 published in the gazette of India, Extraordinary, Part I, Section I, dated the 14th October, 1998 and notification no. 7/2/98/ADD, dated the 12th November, 1998 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section I, dated the 13th November 1998 has recommended provisional assessment of all exports of Purified Terepthalic Acid, falling under chapter 29 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975, made by M/s Siam Mitsui PTA Co. ltd, Thailand and M/s PT Amoco Mitsui PTA, Indonesia at the rate of Rs 1939 per metric tonne till the completion of the reviews by it;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-rule (2) of rule 22 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government after considering the aforesaid findings of the Designated Authority,

hereby orders that, pending the outcome of the said reviews by the Designated Authority, no anti-dumping duty shall be levied on exports of Purified Terepthalic Acid made by M/s Siam Mitsui PTA Co. ltd, Thailand and M/s PT Amoco Mitsui PTA, Indonesia when imported into India;

Provided that Purified Terepthalic Acid exported by M/s Siam Mitsui PTA Co. ltd, Thailand and M/s PT Amoco Mitsui PTA, Indonesia when imported into India shall be subjected to provisional assessment and a guarantee is taken for the amount of duty calculated at the rate of Rs 1939 per metric tonne.

2. In case of recommendation of anti-dumping duty after completion of the said reviews by the Designated Authority, the importer shall be liable to pay the amount of duty imposed on all imports into India of Purified Terepthalic Acid from M/s Siam Mitsui PTA Co. ltd, Thailand and M/s PT Amoco Mitsui PTA, Indonesia from the date of initiation of said reviews.

[F. No. 341/78/97-TRU]

SRINIVAS TATA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 1999

सं. 4/99-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 101(अ).— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 108/95-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 28 अगस्त, 1995 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,

(I) परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह कि उक्त माल की निकासी के पूर्व विनिर्माता, उसके कारखाने पर अधिकारिता रखने वाले सहायक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त के समक्ष निम्नलिखित प्रस्तुत करता है,—

(क) उस दशा में जहां उक्त माल संयुक्त राष्ट्र संघ या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा शासकीय उपयोग के लिए आशयित है, संयुक्त राष्ट्र संघ या अंतर्राष्ट्रीय संगठन से यह प्रमाणपत्र कि उक्त माल ऐसे उपयोग के लिए आशयित है;

(ख) उस दशा में जहां उक्त माल संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वित्त पोषित (चाहे किसी ऋण द्वारा या किसी अनुदान द्वारा) किसी परियोजना को प्रदाय के लिए आशयित है और उक्त परियोजना का भारत सरकार द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के उप सचिव से अन्यून की पंक्ति के किसी अधिकारी से यह प्रमाणपत्र कि उक्त माल उक्त परियोजना के निष्पादन के लिए अपेक्षित है और उक्त परियोजना का भारत सरकार द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदन कर दिया गया है, और

(ग) उस दशा में जहां उक्त माल विश्व बैंक, एशियन विकास बैंक या किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा वित्त पोषित (चाहे किसी ऋण द्वारा किसी अनुदान द्वारा) किसी परियोजन को प्रदाय के लिए आशयित है, और

(i) यदि उक्त परियोजना का भारत सरकार द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है, परियोजना कार्यान्वयन प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष से और भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय के किसी संयुक्त सचिव से अन्यून की पंक्ति के अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित, यह प्रमाण-पत्र कि उक्त माल उक्त परियोजना के निष्पादन के लिए अपेक्षित है और यह कि उक्त परियोजना का भारत सरकार द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदन कर दिया गया है, और

(ii) यदि उक्त परियोजना का किसी राज्य या किसी संघ राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है परियोजना कार्यान्वयन प्राधिकरण के कार्यापालक अध्यक्ष से और, यथास्थिति, संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के प्रधान सचिव या सचिव (वित्त) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित, यह प्रमाणपत्र कि उक्त माल उक्त परियोजना के निष्पादन के लिए अपेक्षित है और यह कि उक्त परियोजना का संबंधित राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदन कर दिया गया है";

(II) स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"स्पष्टीकरण — इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए,—

(क) "अंतर्राष्ट्रीय संगठन" से ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन अभिप्रेत है जिसके संबंध में केन्द्रीय सरकार ने, संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 (1947 का 46) की धारा 3 के अनुसरण में यह घोषणा कर दी है कि उक्त अधिनियम की अनुसूची के उपबंध उसको लागू होंगे;

(ख) "संबंधित मंत्रालय" से भारत सरकार का ऐसा मंत्रालय अभिप्रेत है जिसे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) द्वारा किसी परियोजना की बाबत इस प्रकार नामनिर्देशित किया गया है।

[फा. सं. 354/74/95-टीआरयू]

अतुल गुप्ता, अवर सचिव

टिप्पण :— प्रधान अधिसूचना, भारत के असाधारण राजपत्र में अधिसूचना सं. 108/95, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 28 अगस्त, 1995 [सा. का. नि. 602(अ), तारीख 28 अगस्त, 1995] द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 33/98-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 13 अक्तूबर, 1998 [सा. का. नि. 615(अ), तारीख 13 अक्तूबर, 1998] द्वारा किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th February, 1999

No. 4/99-CENTRAL EXCISE

G. S. R. 101(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 108/95-Central Excises, dated the 28th August, 1995, namely :-

In the said notification,

(i) for the proviso, the following shall be substituted, namely:-

"Provided that before clearance of the said goods, the manufacturer produces before the Assistant Commissioner of Central Excise having jurisdiction over his factory,-

(a) in case the said goods are intended for the official use by the United Nations or an international organisation, a certificate from the United Nations or that international organisation that the said goods are intended for such use ;

(b) in case the said goods are intended to be supplied to a project financed (whether by a loan or a grant) by the United Nations and the said project has been approved by the Government of India, a certificate from an officer not below the rank of a Deputy Secretary to the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), that the said goods are required for the execution of the said project and that the said project has duly been approved by the Government of India, and

(c) in case the said goods are intended to be supplied to a project financed (whether by a loan or a grant) by the World Bank, the Asian Development Bank or any other international organisation, and

(i) if the said project has been approved by the Government of India, a certificate from the executive head of the Project Implementing Authority and countersigned by an officer not below the rank of a Joint Secretary to the Government of India, in the concerned Line Ministry in the Government of India, that the said goods are required for the execution of the said project and that the said project has duly been approved by the Government of India, and

(ii) if the said project has been approved by the Government of India for implementation by the Government of a State or a Union Territory , a certificate from the executive head of the Project Implementing Authority and countersigned by the Principal Secretary or the Secretary(Finance), as the case may be , in the concerned State Government or the Union Territory , that the said goods are required for the execution of the said project, and that the said project has duly been approved by the Government of India for implementation by the concerned State Government." ;

(ii) for the *Explanation*, the following shall be substituted, namely: -

'Explanation.- For the purposes of this notification, -

(a) "international organisation" means an international organisation to which the Central Government has declared, in pursuance of section 3 of the United Nations (Privileges and Immunities) Act,1947 (46 of 1947), that the provisions of the Schedule to the said Act shall apply;

(b). "Line Ministry" means a Ministry in the Government of India, which has been so nominated with respect to a project, by the Government of India, in the Ministry of Finance(Department of Economic Affairs).'.

[F.No.354/74/95-TRU]

ATUL GUPTA, Under Secy.

Note :- The principal notification was published in the Gazette of India Extraordinary vide notification No.108/95-Central Excise, dated the 28th August, 1995 (G.S.R. 602(E), dated the 28th August, 1995) and was last amended by notification No 33/98-Central Excise,dated the 13th October, 1998(G.S.R 615(E) dated the 13th October, 1998)

409 G1/98

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054